(2)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 182 / 2021

सुरेन्द्र धींवा मार्फत महेन्द्र कुमार सैनी, सिंधी गुरूद्वारा के सामने, शेखपुरा मौहल्ला, वार्ड नं0 35, नया पीओ सीकर, पिनकोड 332001, मो0न0 6350695413

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 29.09.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 06.09.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 182 / 2021 पर दिनांक 06.09.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2020 / 2959–60 दिनांक 06.09.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ ने पत्रांक सू0का0अ0 / राजस्व / 2021 / 950 दिनांक 23.09.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 22.07.2021 के कम मे प्रार्थी श्री सुरेन्द्र धींवा को रजिस्टर्ड डाक के द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व / सू0अ0 / 2020 / 828 दिनांक 08.09.2021 व पत्रांक 827 दिनांक 08.09.2021 के द्वारा बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ पत्रांक सू0का0अ0 / राजस्व / 2021 / 950 दिनांक 23.09.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 22.07.2021 के कम मे प्रार्थी श्री सुरेन्द्र धींवा को रजिस्टर्ड डाक के द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक राजस्व / सू0अ0 / 2020 / 828 दिनांक 08.09.2021 व पत्रांक 827 दिनांक 08.09.2021 के द्वारा बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 29.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं